बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2031/2008- 163 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 07/05/2014

श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (**The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013**) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन एवं उनके द्वारा प्रभार ग्रहण के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। [redacted]

5. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2031/2008- 163 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 07/05/2014

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, **मगध प्रमंडल**, **गया**/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्त्ता, **औरंगाबाद**/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2031/2008- 163 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 07/05/2014

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव

D:\Rev 2014\Sec 3 Mar & April\Adhisuchna03-03-2014 Zila Bhu arjan .doc